



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 335]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

सा.का.नि.501 (अ) : - प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव रखती है, और एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

उक्त नियमों से प्रभावित होने वाले हितबद्ध व्यक्ति, इन प्रारूप नियमों के राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियां/सुझाव महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली - 110011 को भेजे जा सकते हैं।

नियम

- (i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में नियम 8 के उप नियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः-

“ (घ) पुरातत्व अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस अथवा उसके अधीन और विहित शर्तों के बिना किसी सामान अथवा वस्तु की फेरी लगाना अथवा विक्रय अथवा ऐसी वस्तु या सामान की परिपाटी का प्रचार अथवा किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन अथवा आर्थिक लाभ के लिए आगंतुक को घुमाना अथवा उसका फोटो लेना निषिद्ध है।”

[फा. सं. 29/5/2015-एम]

राकेश तिवारी, महानिदेशक

फुट नोट : प्रधान नियम, दिनांक 15 अक्तूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2036 पृष्ठ 519-525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:

(i) संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966	(xi) संख्या सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 24 सितंबर, 2001
(ii) संख्या सा.का.नि. 663 दिनांक 01 मई, 1967	(xii) संख्या सा.का.नि. 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
(iii) संख्या का.आ. 5002 दिनांक 13 दिसंबर, 1971	(xiii) संख्या सा.का.नि. 112 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008
(iv) संख्या का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971	(xiv) संख्या सा.का.नि. 164 (अ) दिनांक 05 मार्च, 2008
(v) संख्या सा.का.नि. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991	(xv) संख्या सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 09 जून, 2008
(vi) संख्या सा.का.नि. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996	(xvi) संख्या सा.का.नि. 37 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008
(vii) संख्या सा.का.नि. 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000	(xvii) संख्या सा.का.नि. 429 (अ) दिनांक 20 मई, 2010
(viii) संख्या सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000	(xviii) संख्या सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012
(ix) संख्या सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2000	(xix) संख्या सा.का.नि. 391 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2016
(x) संख्या का.आ. 10 (अ) दिनांक 05 जनवरी, 2001	

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

G.S.R. 501(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall come into force from the date of publication of their notification in the Official Gazette.

Interested person likely to be affected by the said rules may submit objections or suggestions within the period of thirty days from the date on which the copies of Official Gazette of these draft rules are made available to the public.

Objections/suggestions may be sent to the Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi -110011.

Rules

1. (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, for sub-rule (d) of rule 8, the following shall be substituted, namely:-

“(d) hawk or sell any goods or wares or canvass any custom for such goods or wares or display any advertisement in any form or show a visitor round or take his photographs for monetary consideration, except under the authority of, or under, and in accordance with the conditions of, a licence granted by an archaeological officer, or;”

[F.No.29/5/2015-M]

RAKESH TEWARI, Director General

Foot Note.- The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O.2036, dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended vide:-

- | | | | |
|--------|---|---------|---|
| (i) | No.S.O.3520 dated the 20th November, 1966, | (xi) | No. GS.R. 688 (E) dated the 24th September, 2001, |
| (ii) | No.GS.R 663 dated the 1st May, 1967, | (xii) | No. GS.R. 372 (E) dated the 30th April, 2003, |
| (iii) | S.O.5002, dated 13th December, 1971, | (xiii) | No. GS.R. 112 (E) dated the 27th February, 2008, |
| (iv) | No.S.O. 935 dated the 16th February, 1971, | (xiv) | No. GS.R. 164 (E) dated the 5th March, 2008, |
| (v) | No.GS.R.90 dated the 30th January, 1991, | (xv) | No. GS.R. 436 (E) dated the 9th June, 2008, |
| (vi) | No.GS.R.306 dated the 10th July, 1996, | (xvi) | No. GS.R. 37 (E) dated the 15th January, 2008, |
| (vii) | No.GS.R. 799 (E) dated the 17th October, 2000, | (xvii) | No. GS.R. 249 (E) dated the 20th May, 2010, |
| (viii) | No. GS.R. 800 (E) dated the 17th October, 2000, | (xviii) | No. GS.R. 631 (E) dated the 13th August, 2012, |
| (ix) | No. GS.R. 848 (E) dated the 3rd November, 2000, | (xix) | No. GS.R. 391 (E) dated the 31st March, 2016 |
| (x) | No.S.O. 10(E) dated the 5th January, 2001, | | |